

डिक्री बगूकदमें इब्तादाई  
(आदेश 20 नियम 6.7 जाका दीवानी)  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-फरडोद

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2018

मु0न0 140/2017

वादीगण-

1. जगदीश पुत्र वैजनाथ
2. धनश्याम पुत्र वैजनराथ
3. कैलाश पुत्र वैजनाथ
4. पुखराज पुत्र वैजनाथ जातियान ब्राहमण निवासी भावला तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. शारदा पत्नी स्व.सत्यनारायण
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र सत्यनारायण
3. रेखचंद पुत्र सत्यनारायण
4. बाबुलाल पुत्र वैजनाथ
5. जेठमल पुत्र वैजनाथ
6. सुगनाई पत्नी वैजनाथ जातियान ब्राहमण निवासीगण भावला तहसील जायल जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-22.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 जगदीश के हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 03.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 धनश्याम के हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 03.10 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 कैलाश के हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 03.16 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 पुखराज के हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 1 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 जेठमल के हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 03.04 नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 के सामलाती हक बंट में मौजा कालवी का खेत ख नं 158 रकबा 20 बीघा में से 5 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

तीज x मुबलिक x बावत् x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक को अदा करें। वसीलत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया।



सुरेन्द्र प्रसाद  
उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्तर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्तर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फर्क के बाद दिनांक 22/5/18 को करिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

**बन्ध सदस्य**  
**राजस्व लोक अदालत**  
**जायल (नागौर)**

**उपखण्ड अधिकारी, जायल**  
**उपखण्ड जायल**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर, जिला नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- फरडोद

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/252

दिनांक-22-5-18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

**उपखण्ड अधिकारी, जायल**  
**उपखण्ड जायल**  
**जायल, जिला नागौर**